<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 81/2023

बउनवान

देवसिंह पुत्र भीमसिंह जाति मीणा निवासी सारंगखेडा तहसील छीपाबड़ौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 24.07.2023</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 302/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम सारंगखेडा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 मे खसरा नम्बर 26 की रकबा 01 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 06.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश एकतरफा पारित करते हुये दिनांक 12.12.2022 को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि अभिलेख से यह भली प्रकार से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनवान की अपील पर सही ढंग से गौर नही किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। अपीलांट को बेदखल नही किया गया है। अपीलांट को ओर कोई तावान राशि भी बकाया नही है। अपीलांट को दोषी मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बतायी गई भूमि पर कभी कोई कब्जा कर अतिक्रमण अपीलांट द्वारा नही किया है। अपीलांट अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.2022 को अपास्त कर अपीलांट को दोष मुक्त किये [illegible] आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:35:02 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन [illegible] गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण [illegible] है। अधीनस्थ न्या[illegible] में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर [illegible] प्रोपर करवाई गई है। [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2079 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये और अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 302/2022 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (01 माह) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वाके ग्राम सारंगखेडा के खसरा नम्बर 26 की रकबा 01 बीघा भूमि से स्वयं का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 302/2022 में पारित आदेश दि. 12.12.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **24.07.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:35:02 IST
Reason: SelfAttested